# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**अपील संख्या – 1901/2010/जयपुर**

मैसर्स महावीर एन्टरप्राईजेज,
अशोक विहार, मालवीय नगर, जयपुर ।
.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–द्वितीय,
जयपुर।
.....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मदन लाल, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री अलकेश शर्मा,
श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषकगण।
.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक।
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक :16.06.2014**

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स–प्रथम), वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 119/75/आर.वैट/जे/2008–09 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना का अस्वीकार करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 02.05.2008 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी अधिशाषी अभियन्ता, मुनीसीपल कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 05/002072 दिनांक 01.06.2007 द्वारा ₹6,07,800 के अवार्डेड ''वार्ड नं.14 डालडा फैक्ट्री से बजरंग विहार एवम् मोहन नगर से त्रिवेणी तक रिकेबलिंग कार्य'' के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 में संविदा कार्यों की प्रकृति अंकित करते हुए दिनांक 15.06.2007 को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया गया । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अवलोकन पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सम्पादित संविदा कार्यों को उक्त अधिसूचना के आईटम नं0 4 के तहत मानते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क ₹18,234/– देय होना निर्धारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त से व्यथित होकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत् जारी भुक्ति शुल्क को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

लगातार.....2

गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जरिये आदेश दिनांक 02.05.2008 के अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये संविदा कार्य बिल्डिंग निर्माण से सम्बन्धित सिविल वर्क की श्रेणी में आने से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आलोक में, उक्त पर 1.5 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क आरोपणीय है। परन्तु दोनों अवर अधिकारियों द्वारा प्राप्त कार्यादेश में अंकित कार्य का अन्यथा निर्वचन, मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की दर से आरोपणीय होना अवधारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के निम्न **न्यायिक दृष्टांतों (2003) 2 आर.टी.आर. 633 (आर.टी.बी.), (2006) वैट रिपोर्टर पेज 257 (आर.टी.बी.), ए.आई.आर. (1995) 1002 (सु.को.) व (1988) 36 ई.एल.टी. 201 (सु.को.)** को प्रोद्धरित कर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को आवर्डेड संकर्म संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल का अवलोकन करने के बाद संविदा कार्य को विद्युतीकरण से संबंधित कार्य होने के कारण इन कार्यों को अधिसूचना दिनांक 11.08.06 के आईटम नं0 4 के अन्तर्गत आना मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देयता हेतु जारी किया गया है जिसके संबंध में उक्त को परिशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिक रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया । जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड तथा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को अधिशाषी अभियन्ता, म्युन्सिपल कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 05/002072 दिनांक 01.06.2007 द्वारा ₹6,07,800 के अवार्डेड **"वार्ड नं.14 डालडा फैक्ट्री से बजरंग विहार एवम् मोहन नगर से त्रिवेणी तक रिकेबलिंग कार्य"** के लिये ठेका प्राप्त हुआ जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 में संविदा कार्यों की प्रकृति अंकित करते हुए दिनांक 15.06.2007 को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी

लगातार.....3

को प्रेषित किया गया । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अवलोकन पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र डब्लयूटी–1 में अंकित संविदा कार्यों को उक्त अधिसूचना के आईटम नं0 4 के तहत मानते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क ₹18,234/– देय होना निर्धारित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के संविदा कार्यों की प्रकृति को देखते हुए प्राप्त संविदा कार्यों को उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत् आईटम संख्या–4 के अनुसार निर्धारण किया गया है तदनुरूप प्राप्त संविदा कार्यों को 3 प्रतिशत की दर से ₹18,234/– निर्धारित करते हुये, आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत (2003) 2 आर.टी.आर. 633 में सड़क निर्माण कार्य के अनुषांगिक कार्यों को भी सड़क निर्माण से संबंधित कार्य माना गया है । जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी ने मात्र "रिकेबलिंग" की कार्य संविदा की है । (2006) वैट रिपोर्टर 25 में कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा रोड/भवन निर्माण की संकर्म संविदा के दौरान उक्त से संबंधित आनुषांगिक कार्य यथा गेट/चैनल/फिटिंग/केबलिंग के कार्य को भवन/रोड से संबंधित संकर्म संविदा मानी है, जबकि हस्तगत प्रकरण में मात्र "रिकेबलिंग" की कार्य संविदा है जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 (15.06.2007 को यथा संशोधित) जो तत्समय प्रवृत थी, इस प्रकार है:–

| Item No. | Description of work contract | Rate of exemption fee% of the total value of the contract |
|---|---|---|
| 1 | [***] | |
| 2 | Works contracts relating to building, road, bridges, dams, canals, sewerages system | 1.50% |
| 3 | Works contract relating to installation of plants and machinery including pspo, water treatment plant, lying of pipe line with material. | 2.25 |
| 4 | Any other kind of works contract not covered by item Nos.[***], 2 and 3 | 3.00% |

अतः उक्त अधिसूचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि "Recabling work" अधिसूचना के आईटम संख्या–4 के तहत् है, जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया

लगातार.....4

जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गयी । अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

16.6.2014

( मदन लाल )
सदस्य